

विभाग की प्रमुख उपलब्धियाँ (प्रोजेक्ट, COE, Grant, Patents)

1. प्रौ. द्वास्का नाथ

रिसर्च एण्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट (R & D)

उ० प्र० राज्य उच्च शिक्षा परिषद्, लखनऊ

2. डॉ० रमेश चन्द

रिसर्च एण्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट (R & D)

उ० प्र० राज्य उच्च शिक्षा परिषद्, लखनऊ

Project (R&D)

संख्या-41/2021/606/संतर-4-2021-4(56)/2020

प्रेषक,

योगेन्द्र दत्त त्रिपाठी,
विशेष सचिव,
उ०प्र० शासना

सेवा में,

कुलसचिव,

1. डॉ० भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय, आगरा।
2. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ।
3. उ०प्र० राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, प्रयागराज।
4. डॉ० राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, लखनऊ।
5. प्रो० राजेन्द्र सिंह (रज्जू भय्या) विश्वविद्यालय, प्रयागराज।
6. महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी।
7. दीन दयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर।
8. लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ।
9. डॉ० राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, अयोध्या।
10. महात्मा ज्योतिबा फूले रूहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली।

उच्च शिक्षा अनुभाग-4

लखनऊ: दिनांक: 30 मार्च, 2021

विषय- प्रदेश के विश्वविद्यालयों के शिक्षकों को शोध कार्यों हेतु "रिसर्च एण्ड डेवलपमेंट" योजनांतर्गत अनुदान की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2020-21 में प्रदेश के राज्य विश्वविद्यालयों से "रिसर्च एण्ड डेवलपमेंट" योजनांतर्गत प्राप्त प्रस्तावों का परीक्षण गठित विशेषज्ञ समिति से कराया गया अपर सचिव, उ०प्र० राज्य उच्च शिक्षा परिषद, लखनऊ के पत्र संख्या-141/रा०उ०शि०प०/01/2021, दिनांक 08.03.2021 द्वारा उपलब्ध करायी गयी विशेषज्ञ समिति की संस्तुतियों पर सम्यक विचारोपरांत प्रदेश के राज्य विश्वविद्यालयों के शिक्षकों को शोध कार्यों हेतु "रिसर्च एण्ड डेवलपमेंट" योजनांतर्गत सलग विवरण के अनुसार निम्नलिखित शर्तों के अधीन रु० 1,58,62,700/- (रूपये एक करोड़ अष्टावन लाख बासठ हजार सात सौ मात्र) का अनुदान/ वित्तीय स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

1. रिसर्च एण्ड डेवलपमेंट योजना के अंतर्गत स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय इस योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार शोध सहायक/केमिकल, ग्लासवेयर, उपभोग्य वस्तुएं आदि/यात्रा व्यय और फील्ड कार्य एवं डाटा कलेक्शन आदि/आकस्मिक व्यय पर किया जाएगा।
2. शासनादेश संख्या-1604/संतर-4-2020-1268/2018 दिनांक 15.12.2020 द्वारा निर्गत रिसर्च एण्ड डेवलपमेंट योजना के दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा तथा परियोजना के अंतर्गत कराये गये शोध कार्यों की निर्धारित समय-सीमा पर समीक्षा की जाएगी एवं शासन को नियमित रूप से प्रगति रिपोर्ट उपलब्ध करायी जाएगी।
3. प्रक्रमगत योजना से संबंधित कार्यों हेतु किसी भी दशा में कोई भी नियुक्ति नहीं की जाएगी तथा कोई डिप्लोमा/प्रशिक्षण कोर्स संचालित नहीं किये जाएंगे।
4. योजनांतर्गत स्वीकृत धनराशि का सद्वार उपयोगिता प्रमाण पत्र व प्रगति आख्या शासन को संकलित रूप में उपलब्ध कराया जाएगा।

27	दीन दयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर	Prof. Divya Rani Singh	Enrichment of food products through fortification of Moringa leaves and its quality evaluation.	अन्य
28	दीन दयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर	Prof. (Dr.) Dwarka Nath	व्याधिकाल में नाथयोग का उपचारात्मक अवदान	अन्य
29	दीन दयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर	Prof. Deepak Prakash Tyagi	गोरखनाथ की साहित्य साधना: परम्परा और प्रदेश	अन्य
30	दीन दयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर	Dr. Ramesh Chandra	भारत भारतीयता के आलोक में	अन्य
31	लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ	Dr. Mahendra Kumar	Nano Structured Oxide Thin-Film Materials for Air Quality monitoring and Sensing Applications	साइंस
32	लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ	Prof. Anchal Srivastava	Carbon-incorporated Metal Oxide Nanostructures for water treatment	साइंस
33	लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ	Dr. Atul Srivastava	Development of camera based color matching applications benefitting MSME of Uttar Pradesh	साइंस
34	लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ	Dr. Mohd. Israil Ansari	Impact of Bioengineered silver nanoparticles in GABA Accumulation During Spinach leaf development and leaf senescence process	साइंस
35	लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ	Prof. R.K. Shukla	Greener Synthesis of Zinc oxide nanoparticles : characterization and Carbon dioxide Gas sensor	साइंस
36	लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ	Prof. Rajeev Manohar	Optimization of dielectric, electro-optical & Optical Properties of liquid crystals using non mesogenic dopant (nanoparticles) for photonic applications	साइंस

- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है ।